

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01-06-2021 जनपद देवरिया

01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 09 अभियोग पंजीकृत किये गए

कच्ची शराब के विरुद्ध दिनांक 29.05.2021 से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दबिश देकर काफी मात्रा में लहन व भट्टियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 31.05.2021 को जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन में से चलाए जा रहे अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 09 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना लार पुलिस द्वारा एक अदद वाहन पिकप से 12 राशि गोवंशीय पशु के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 31.05.2021 को थानाध्यक्ष लार मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान मेहरौना चेक पोस्ट तिराहे के पास से 01 अदद पिकप यूपी-52-टी-8342 से 12 राशि गोवंशीय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.हसनैन पुत्र पतरंगा सा0 सुतावर थाना लार देवरिया बताया, उक्त के सम्बन्ध में थाना लार पुलिस द्वारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. 05 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

दिनांक 31.05.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष सलेमपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01 अर्जुन यादव पुत्र अमेरिका यादव सा0 पराव छपरा थाना सलेमपुर देवरिया 02.प्रदीप तुरहा पुत्र स्वामीनाथ तुरहा सा0 नदावर मझौलीराज थाना सलेमपुर देवरिया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष बरियापुर द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.सरवन सोनकर पुत्र स्व0 गोपाल सोनकर 02.हरेराम सोनकर पुत्र शिवनाथ सोनकरसा0 जयनगर डिहवा टोला थाना बरहज देवरिया हालपता- वार्ड नं0 03 न्यू कालोनी चकियवां डाला नेहरू नगर थाना कोतवाली देवरिया 03.पारस यादव उर्फ पहल यादव पुत्र स्व0 गोपाल यादव सा0 दलपिठनी थाना बरियारपुर देवरिया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 31.05.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 46 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 31.05.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 126 वाहनों से 1,29,600 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।